कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा आशा सिंह, प्रधानाचार्य, श्री शिवनारायण केदार राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलसिया, नवलगढ जिला झुन्झुनूं का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रून जिला नागौर किया गया था जिसके विरूद्ध आशा सिंह द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 548/2021 आशा सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई ।

अपील संख्या 548/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.2021 द्वारा अपीलार्थी आशा सिंह को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में रिक्त पद प्रदर्शित करते हुए 15 दिवस की अवधि में सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार 2 सप्ताह के भीतर एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए। उक्तानुसार अपीलार्थी के अभ्यावेदन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारित किये जाने तक विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.01.2021 का क्रियान्वयन माननीय अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थगित रखा गया।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के परित्यक्ता होने एवं अपनी विकट पारिवारिक परिस्थितयों को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राउमावि रथखाना, जयपुर/राउमावि तोमली का बास, चाकसू, जयपुर/राउमावि मेन्दवास, दूदू जिला जयपुर अथवा जयपुर ब्लॉक में कहीं भी प्रधानाचार्य के पद पर किये जाने का निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश दिनांक 24.09.2019 के अनुसार, जो कि पूर्व के समस्त दिशा–निर्देशों के अधिक्रमण में जारी किये गए थे, में परित्यक्त महिला कार्मिक को स्थानान्तरण आवेदनों में प्राथमिकता प्रदान किये जाने के निर्देश अवश्य प्राप्त थे किन्तु इस सम्बन्ध में कोई बाध्यता नहीं थी कि प्रशासनिक आधार पर भी ऐसे कार्मिकों का स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता। किसी भी लोकसेवक को एक ही स्थान पर बने रहने का कोई निहित अधिकार (VESTED RIGHT) नहीं है। सरकार अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार उन्हें राज्य में कहीं पर भी स्थानान्तरित/पदस्थापित किया जा सकता है। अन्यत्र स्थानान्तरित/पदस्थापित किये जाने से किसी भी लोकसेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं होता। अपीलार्थी राज्य सेवा की अधिकारी हैं और राज्य हित/विद्यार्थी हित/विभागीय प्राथमिकता एवं प्रशासनिक आवश्यकता में उन्हें राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है।

उक्तानुसार, अपीलार्थी आशा सिंह, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य (श्री शिवनारायण केदार राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलसिया, नवलगढ जिला झुन्झुनूं से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रून जिला नागौर) का अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाता है। चूंकि माननीय अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण तक ही विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.01.2021 का क्रियान्वयन स्थगित रखा गया था अतः अपीलार्थी आशा सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वे विभागीय आदेश दिनांक 04.01.2021 की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि रून जिला नागौर में प्रधानाचार्य के पद पर तत्काल कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करे अन्यथा उनके विरूद्ध सीसीए नियमान्तर्गत विभागीय कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/आशा सिंह/548/21/153 दिनांकः 09.02.21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।

—2.

2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग/चूरू संभाग, अजमेर/चूरू।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर/झुन्झुनूं।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक नागौर/झुन्झुनूं।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. आशा सिंह, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रून जिला नागौर।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)